Registered No. E. P.-97

रजिस्टर्ड नं० इ० पी०-९७

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 1955

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

विधान सभा विभाग

अधिसूचना

दिनांक, शिमला-4, 16 दिसम्बर, 1955

सं० वी० एस० 182/55.—गवर्नमैंट आफ पार्ट "सी" स्टेट्स ऐक्ट, 1951 की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 26 नवम्बर, 1955 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसे अब हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 126 के अधीन सर्व साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिनियम सं० 15, 1955

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955

सड़कों पर कुछ मोटर गाड़ियों से यात्रियों तथा सामान ले जाने पर कर लगाने की व्यवस्था करने का

अधिनियम

यह भारतीय गणतन्त्र के छठे वर्ष में हिमाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए :

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 होगा।

(2) इस का प्रसार हिमाचल प्रदेश के समस्त राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

2. **परिभाषाएं.**—जब तक विषय या संदर्भ में प्रतिकूल अर्थ न हो, इस अधिनियम में—

(क) "व्यवसाय (business)" का तात्पर्य मोटर गाड़ियों द्वारा यात्रियों तथा माल ले जाने के व्यवसाय से है ;

(ख) "आयुक्त (commissioner)" का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश के वित्तायुक्त (financial commissioner) से है ;

(ग) "किराए (fare)" के अन्तर्गत नियतकाल टिकट (season ticket) के लिए देय राशियां या ठेके की गाड़ियों (contract carriages) के भाड़े (hire) के सम्बन्ध में देय राशियां हैं ;

(घ) "सामान" के अन्तर्गत जीवित व्यक्तियों को छोड़ कर मोटर गाड़ी द्वारा ले जाए गए पशु और अन्य कोई भी वस्तु है, किन्तु इस के अन्तर्गत गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों का ऐसा निजि सामान, जिस के लिए भाड़ा नहीं लिया जाता और साधारणतया गाड़ी के प्रयोग में आने वाली सामग्री नहीं है ;

(च) "मोटर गाड़ी" का तात्पर्य सार्वजनिक सेवा की गाड़ी (public vehicle) या सार्वजनिक वाहन (public carrier) या वैयक्तिक वाहन (private carrier) या ठेले (trailer) से है, जब वह ऐसी गाड़ी के साथ लगा हो ;

(छ) "स्वामी" का तात्पर्य उस मोटर गाड़ी के स्वामी से है, जिस के सम्बन्ध में मोटर विहिकल्स ऐक्ट, 1939 (Motor Vehicles Act, 1939) के उपबन्धाधीन अनुज्ञापत्र (permit) दिया गया हो या प्रतिहस्ताक्षरित (countersigned) हो, और इसके अन्तर्गत है (क) उक्त गाड़ी के सम्बन्ध में अनुज्ञापत्र धारी, (ख) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो तत्कालार्थ उक्त गाड़ी का संरक्षक हो, (ग) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो उक्त स्वामी के व्यवसाय स्थान के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी हो, (घ) शासन या रोड ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट, 1950 (Road Transport Corporations Act, 1950) के अधीन संरचित संघ (corporation);

(ज) "यात्री (passenger)" का तात्पर्य ऐसे किसी भी व्यक्ति से है जो सार्वजनिक सेवा की गाड़ी में यात्रा कर रहा हो, किन्तु इसके अन्तर्गत नहीं है—ड्राइवर या कन्डक्टर या गाड़ी के स्वामी का वह कर्मचारी, जो गाड़ी से सम्बद्ध अपने विश्वस्त कर्त्तव्य का निष्पादन करते हुए यात्रा कर रहा हो;

(झ) "राज्य" का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश के राज्य से है;

(ट) "राज्यशासन या शासन" का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश राज्य के उपराज्यपाल से है;

(ठ) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां, जिनका इस अधिनियम में प्रयोग हुआ है किन्तु परिभाषा नहीं दी गई है उन का वही अर्थ होगा, जो उन के समान अर्थ वाले अंग्रेजी शब्दों को मोटर विहिकल्स ऐक्ट, 1939 (Motor Vehicles Act, 1939) में दिया गया है।

3. करारोपण.—(1) मोटर गाड़ियों द्वारा ले जाए गए समस्त यात्रियों और सामान के समस्त किराए और भाड़े (fares and freights) पर, यथास्थिति, किराए या भाड़े के मूल्य पर एक पाई प्रति आना के मान (rate) से एक कर आरोपित किया जाएगा, लिया जाएगा और राज्यशासन को चुकाया जाएगा, जो किसी एक दशा में कम से कम तीन पाई होगा। कर राशि की गणना एक पूरे पैसे (तीन पाइयों) के निकट तक की जाएगी।

स्पष्टीकरण.—जब यात्री और सामान किसी मोटर गाड़ी द्वारा ले जाया गया हो और कोई भी किराया या भाड़ा न लिया गया हो चाहे देय हो या देय न हो तो कर इस प्रकार आरोपित किया जायगा और चुकाया जाएगा मानो उक्त यात्री या सामान उस मार्ग पर प्रचलित सामान्य मान (rate) पर ले जाया गया हो।

(2) जहां कोई किराया या भाडा ऐसी एक मुश्त राशि हो, जो किसी व्यक्ति द्वारा नियतकाल टिकट (season ticket) के लिए चुकाई गई हो या किसी ऐसे विशेषाधिकार, अधिकार या सुविधा के लिए अभिदान या अंशदान (subscription or contribution) के रूप में चुकाई गई हो, जिस में ऐसे व्यक्ति या उसके सामान को किसी मोटर गाड़ी द्वारा पुनः या कम राशि चुकाए बिना ले जाए जाने का अधिकार सम्मिलित हो, तो कर उक्त एक मुश्त राशि पर या ऐसी राशि पर आरोपित किया जायगा, जो विहित प्राधिकारी को मोटर विहिकल्स ऐक्ट, 1939 (Motor Vehicles Act, 1939) के

अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत किराए या भाड़े का ध्यान रखते हुए उचित तथा न्याय संगत प्रतीत हो।

(3) जब यात्री या सामान मोटर गाड़ी द्वारा राज्य के बाहिर के किसी स्थान से राज्य के भीतर किसी स्थान को लाया गया हो या राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहिर के किसी स्थान को ले जाया गया हो तो कर उपधारा (1) में बतलाए गए मान (rate) पर राज्य के भीतर तय की गई दूरी के सम्बन्ध में देय होगा और उतनी राशि पर आगणित किया जाएगा जिसका समस्त किराए और भाड़े से वही अनुपात होगा जो यात्रा की कुल दूरी और राज्य में तय की गई दूरी में हो।

4. कर संग्रह करने का तरीका.—कर का संग्रह मोटर गाड़ी के स्वामी द्वारा किया जाएगा और विहित रीति से राज्यशासन को चुका दिया जायगा।

5. करारोपण की रीति.—(1) इस अधिनियम द्वारा की गई अन्य व्यवस्था को छोड़ कर किसी भी यात्री को स्वामी द्वारा तब तक मोटर गाड़ी में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक उसे यात्रा करने के लिए ऐसे विहित प्रपत्र में टिकट न दे दिया गया हो, जिस से यह प्रलक्षित होता हो कि कर चुका दिया गया है :

परन्तु यदि यात्रा राज्य के बाहिर से आरम्भ होती हो तो कर राज्य के भीतर प्रवेश करने पर विहित रीति में देय हो जाएगा।

(2) इस अधिनियम द्वारा की गई अन्य व्यवस्था को छोड़ कर मोटर गाड़ी में कोई भी सामान ले जाने की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक, स्थिति अनुसार गाड़ी के संरक्षक (person in charge) या यात्री के पास विहित प्रपत्र में मोटर गाड़ी के स्वामी द्वारा दी गई ऐसी रसीद न हो, जिस में लिया गया भाड़ा या प्रचलित सामान्य मान पर देय भाड़ा प्रदर्शित हो और यह प्रलक्षित हो कि इस अधिनियम के अधीन देय कर चुका दिया गया है।

6. लेखे रखना और विवरणपत्रों का प्रस्तुतिकरण.—(1) किसी भी स्वामी से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह ऐसे लेखे रखे और विहित विवरण पत्र ऐसे समयान्तरों पर और ऐसे प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करे, जो विहित किए जाएं।

(2) यदि कोई स्वामी उचित कारण के बिना विवरणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता या उक्त विवरणपत्र के अनुसार नियत दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर देय कर नहीं चुका पाता तो करनिर्धारण प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि उक्त स्वामी देय कर राशि के अतिरिक्त प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिस के मध्य अपराध जारी रहता है, शास्ति के रूप में पांच रुपए से अनधिक धन राशि और चुकाए।

(3) उपधारा (2) के अधीन आरोपित किसी भी शास्ति का धारा 17 के अधीन दिए गए किसी भी दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) यदि विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि कर ठीक तरह से आरोपित नहीं किया गया है, लिया गया है और चुकाया गया है तो वह स्वामी को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् देय कर-राशि आरोपित करने और उसे वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

7. **करारोपक प्राधिकारी.**—(1) इस अधिनियम के प्रयोजन पूरे करने के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा आयुक्त (Commissioner) की सहायता की जा सकेगी, जिन्हें राज्य शासन इस हेतु नियुक्त करे।

(2) आयुक्त (Commissioner) तथा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति (person or persons) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा या करेंगे और ऐसे कर्तव्य सम्पादित करेगा या करेंगे, जो इस अधिनियम के अधीन उसे या उन्हें सौंपे जाएं।

8. **स्वामी का पंजीयन (Registration).**—कोई भी स्वामी अपनी मोटर गाड़ी राज्य में तब तक नहीं चलाएगा जब तक उसके पास यहां से आगे व्यवस्थित मान्य पंजीयन प्रमाणपत्र (Registration certificate) न हो।

9. **पंजीयन प्रमाणपत्र (Registration certificate) देना.**—(1) पंजीयन प्रमाणपत्र विहित रीति से एक रुपया फीस देने पर किसी भी ऐसे स्वामी को दिया जाएगा, जिसने उसके लिए उस जिले के विहित प्राधिकारी के पास प्रार्थनापत्र दिया हो, जिस में मोटर विहिकल्ज ऐक्ट, 1939 (Motor Vehicles Act, 1939) के अधीन उसकी मोटर गाड़ी पंजीयित हो।

(2) उक्त प्रत्येक पंजीयन प्रमाणपत्र नवीकरण के बिना तब तक मान्य रहेगा जब तक वह रद्द नहीं किया जाता या उसका निलम्बन नहीं किया जाता।

(3) ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी पंजीयन प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा, जिस ने अपनी मोटर गाड़ी का मोटर विहिकल्स ऐक्ट, 1939 (Motor Vehicles Act, 1939) के अधीन पंजीयन न कराया हुआ हो और यदि उक्त कोई पंजीयन उस ऐक्ट के अधीन निलम्बित या रद्द कर दिया जाता है तो इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई भी पंजीयन प्रमाणपत्र, स्थिति अनुसार, निलम्बित या रद्द समझा जाएगा।

(4) यदि विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि कोई स्वामी इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी अवधि के लिए कर देने का उत्तरदायी है, किन्तु उसने जान बूझ कर पंजीयन के लिए प्रार्थनापत्र नहीं दिया है या जानबूझ के कर नहीं चुकाया है तो उक्त प्राधिकारी स्वामी को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् स्वामी द्वारा देय कर-राशि, यदि कोई हो, निर्धारित करेगा और यह निदेश भी देगा कि स्वामी विहित रीति से कर-राशि के डेढ़ गुणे से अनधिक राशि शास्ति के रूप में दे।

(5) यदि ऐसा स्वामी, जिसे उपधारा (1) के अधीन पंजीयन का प्रमाणपत्र दिया गया हो, अपना व्यवसाय स्थानान्तरित कर देता है, छोड़ देता है या बन्द कर देता तो वह ऐसा करने से तीस दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को उसकी सूचना देगा, और उक्त प्राधिकारी व्यवसाय के स्थानान्तरण करने, उसे छोड़ने या उसे बन्द करने के दिनांक से पंजीयन प्रमाणपत्र रद्द कर देगा।

(6) (अ) किसी स्वामी की मृत्यु हो जाने पर मृत व्यक्ति का वैध प्रतिनिधि होने का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति तीस दिन की अवधि के भीतर विहित प्राधिकारी को इस तथ्य की सूचना देगा।

(आ) तदुपरान्त विहित प्राधिकारी प्रार्थी के नाम पर प्रमाणपत्र हस्तान्तरित कर देगा।

(7) जब कोई स्वामी किसी मोटर गाड़ी को हस्तान्तरित करता है तो हस्तांतरण ग्रहीता हस्तांतरण के दिनांक तक हस्तान्तरक द्वारा न चुकाए गए कर और शास्ति, यदि कोई हो, देने के लिए इस प्रकार उत्तरदायी होगा मानो वह पंजीयित स्वामी था, और हस्तान्तरण ग्रहीता अपना पंजीयन करवाए बिना या यदि वह पहले से ही पंजीयित हो तो अपना पंजीयन प्रमाणपत्र संशोधित करवाए बिना उक्त मोटर गाड़ी नहीं चलाएगा।

10 विमुक्ति.—राज्य शासन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी स्वामी को इस अधिनियम के समस्त उपबन्धों या किसी भी उपबन्ध के प्रवर्तन से विमुक्त कर सकेगा।

11. समय सारणी और किराए तथा भाड़े की सारणी देना.—स्वामी विहित रीति से विहित प्राधिकारी को सार्वजनिक सेवा की गाड़ियों और सार्वजनिक वाहनों के किराए तथा भाड़े की सारणी, मोटर गाड़ियों के पहुंचने तथा छूटने के समय का आनियमन करने की सारणी और व्यवसाय से सम्बद्ध ऐसे अन्य ब्योरे प्रस्तुत करेगा, जो विहित प्राधिकारी के आदेश द्वारा समय समय पर अपेक्षित हों।

12. कर का बकाया भूराजस्व के बकाया की भान्ति वसूल किया जाएगा.—इस अधिनियम के अधीन आरोपित शास्ति या कर का कोई भी बकाया भूराजस्व के बकाया की भान्ति वसूली योग्य होगा।

13. प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्ति.—(1) जब कोई भी विहित प्राधिकारी गाड़ी रोकने और खड़ी करने को कहे तो मोटर गाड़ी का ड्राइवर मोटर गाड़ी रोक देगा और खड़ी कर देगा ताकि उक्त प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन आरोपित कोई भी कर्तव्य सम्पादित कर सके और उक्त प्राधिकारी ऐसा करने के लिए मोटर गाड़ी में प्रवेश भी कर सकेगा और इस में यात्रा भी कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति ऐसी वरदी पहनेगा या ऐसा अन्य विभेदक चिन्ह धारण करेगा, जो विहित किया जाए और ऐसे किसी भी स्थान में, जो स्वामी द्वारा गाड़ी खड़ी करने या अपने व्यवसाय के लेखे रखने के प्रयोग में लाया जाता हो, यह देखने या जांच करने के लिए प्रवेश कर सकेगा और निरीक्षण कर सकेगा आयाकि इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन हो रहा है या नहीं और ऐसा निरीक्षण करते समय किन्हीं भी प्रलेखों पर प्रतिहस्ताक्षर कर सकेगा।

14. टिकट प्रस्तुत करना.—यात्री मांग करने पर यात्रा के मध्य या यात्रा से ठीक पूर्व या ठीक पश्चात् अपनी यात्रा का या अपने सामान ले जाने का टिकट, वाउचर या प्रलेख किसी भी विहित प्राधिकारी को दिखलाएगा। उसके ऐसा न कर पाने पर किराए से दुगनी राशि शास्ति के रूप में वसूल की जा सकेगी।

15. अपील. - जिस आदेश के विरुद्ध अपील करनी हो, उस आदेश के दिए जाने से साठ दिन के भीतर, राज्यशासन द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त अपील-प्राधिकारी के पास अपील की जाएगी, परन्तु अपील प्रधिकारी को उचितकारण बतला कर यह अवधि बढ़ाई जा सकेगी । अपील-प्राधिकारी का आदेश धारा 16 में व्यवस्थित दशा को छोड़ कर अन्तिम होगा:

परन्तु उक्त प्राधिकारी द्वारा तब तक कोई भी अपील ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक उसका यह समाधान न हो जाए कि निर्धारित कर-राशि चुका दी गई है:

परन्तु यह भी कि यदि उक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि कोई स्वामी निर्धारित कर देने के योग्य नहीं है तो वह कारण अभिलिखित करके उक्त कर चुकाए बिना अपील ग्रहण कर सकेगा ।

16. पुनरावृत्ति – आयुक्त स्वयं या विहित रीति से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर ऐसी किन्हीं भी कार्यवाहियों के अभिलेख, जो इस अधिनियम के अधीन उसके अधीनस्त किसी अन्य प्राधिकारी के विचाराधीन हों या जिनका निर्णय उक्त प्राधिकारी ने कर दिया हो, उक्त कार्यवाहियों या उनमें दिए गए किसी आदेश की वैधानिकता या प्रमाणिकता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगवा सकेगा और उनके सम्बन्ध में ऐसे आदेश दे सकेगा, जो वह उचित समझे:

परन्तु स्वामी उक्त प्रार्थनापत्र उस आदेश के दिनांक से एक वर्ष के भीतर ही दे सकेगा जिस की वह पुनरावृत्ति करवाना चाहता हो।

(2) स्वामी या अभिरुचि रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना इस धारा या पूर्ववर्ती धारा (next preceding section) के अधीन कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा ।

17. अपराध और शास्तियां. (1) जो कोई भी —

(क) विहित अवधि में ऐसे कर की चुकती नहीं कर पाता जो उसने देना हो; अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर की चुकती करने में कपटपूर्वक टालमटोल करता है ; अथवा

(ग) इस अधिनियम की धारा 5 (1) द्वारा अपेक्षित इस अधिनियम के अधीन विहित टिकट के बिना किसी यात्री को मोटर गाड़ी में यात्रा करने देता है; अथवा

(घ) इस अधिनियम की धारा 5 (2) में विहित रसीद दिए बिना अपनी मोटर गाड़ी में सामान ले जाता है ; अथवा

(च) जानबूझ कर पंजीयन के लिए प्रार्थनापत्र नहीं देता या कर नहीं चुकाता ; अथवा

(छ) इस अधिनियम की धारा 9 (5) तथा 9 (6) के अधीन सूचना नहीं देता ; अथवा

(ज) धारा 13 के अधीन किसी भी पदाधिकारी के प्रवेश और निरीक्षण में बाधा डालता है ; अथवा

(झ) इस अधिनियम या इस के अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी अन्य उपबन्ध या उक्त ऐसे उपबन्ध या नियमों, जिनकी इस अधिनियम में विशिष्ट रूप से व्यवस्था नहीं की गई है, के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का उल्लंघन करता है,

अपराधी ठहराए जाने पर ऐसे अर्थदण्ड का भागी होगा, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा और जब अपराध जारी रहे तो पुन: अपराधी ठहराए जाने पर अपराध की निरन्तरता मध्य प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपये तक के अर्थदण्ड का भागी होगा ।

(2) विहित प्राधिकारी की लिखित शिकायत बिना कोई भी न्यायालय इस अधिनियम अथवा इस के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन किए गए किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा और प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न वर्ग का कोई भी न्यायालय उक्त किसी भी अपराध की अन्वीक्षा नहीं करेगा।

18. अपराध अभिसन्धित करने की शक्तियां.—(1) विहित प्राधिकारी किसी भी समय ऐसे व्यक्ति से, जिसने धारा 17 के अधीन कोई अपराध किया हो, एक हजार रुपये से अनधिक राशि अथवा अन्तर्ग्रस्त कर की राशि से दुगनी राशि, इन दोनों में से जो भी अधिक हो, अपराध की अभिसन्धि के रूप में स्वीकार कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन निश्चित धन राशि चुका देने पर विहित प्राधिकारी, जहां आवश्यक हो, न्यायालय को यह प्रतिवेदन देगा कि अपराध अभिसन्धित हो गया है और इसके पश्चात् उसी अपराध के सम्बन्ध में अपराधी के विरुद्ध धारा 17 के अधीन पुनः कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी और उक्त न्यायालय अपराधी को यथास्थिति मुक्त (discharge) या दोषमुक्त (acquit) कर देगा।

19. कार्यवाहियों पर रुकावट.—इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन अभिप्रेत या सद्भावना से किए गए किसी भी कार्य के लिए कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकेगा।

20. दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन.—किसी भी दीवानी न्यायालय को ऐसे किसी भी विषय में, जिसका निर्णय या संज्ञान करने के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा राज्य शासन या कोई विहित प्राधिकारी शक्तिसम्पन्न हो और उस रीति के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होगा, जिस के अनुसार राज्यशासन या कोई विहित प्राधिकारी इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा स्वनिहित शक्तियों का प्रयोग करता हो।

21. वापसियां.—पंजीयित स्वामी के प्रार्थनापत्र देने पर विहित प्राधिकारी विहित रीति से कर की ऐसी कोई भी राशि उसको वापस कर देगा, जो ऐसे स्वामी ने इस अधिनियम के अधीन देय धन राशि से अधिक चुकाई हो।

22. नियम बनाने की शक्तियां.—(1) राज्यशासन कर की चुकती के सुनिश्चयन तथा सामान्यतया इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगा।

(2) विशेषतया तथा पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए राज्यशासन निम्नलिखित विषय विहित करते हुए नियम बना सकेगा —

(क) वह रीति, जिसके अनुसार, और वे मध्यान्तर, जिसमें धारा 3 और धारा 4 के अधीन कर चुकाया जाएगा;

(ख) इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबन्धों के अधीन कोई भी कार्य करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी अथवा प्राधिकारीगण;

(ग) धारा 5 के अधीन टिकटों तथा रसीदों के प्रपत्र;

(घ) कर तथा शास्ति के सम्बन्ध में धारा 9 में वर्णित रीति और चुकती ;

(च) धारा 11 के अधीन रीति तथा किराए की सारणी ;

(छ) वह रीति, जिस के अनुसार निर्धारण के विरुद्ध अपीलें की जा सकेंगी ;

(ज) वह रीति, जिस के अनुसार पुनरावृत्ति के लिए प्रार्थनापत्र दिया जा सकेगा ;

(झ) वह रीति, जिसके अनुसार धारा 21 के अधीन वापसियां की जाएंगी ; और

(त) अन्य ऐसे विषय की व्यवस्था करने के लिए नियम बना सकेगा, जिसके लिए नियम विहित किए जा सकते हैं ।

(3) नियम बन जाने पर राज्यशासन यह नियम विधान सभा में उपस्थित करेगा ।

बन्शीधर शर्मा,
सचिव ।

d and Published in India by the Manager, H. P. Govt. Press, Simla-3.